

राजस्थान-सरकार
राजस्व(ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक:प.9(40)राज./ग्रुप-1/2011

जयपुर,दिनांक : 28-12-2011

:- अधिसूचना:-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,1956 (1956 का अधिनियम,15) की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार एतद द्वारा निर्देश देती है कि जिला नागौर की तहसील परबतसर के मूल राजस्व ग्राम से लगती हुई नीचे दी गई सारणी के कॉलम संख्या-6 में अंकित मजरो/ढाणियों को एतदपश्चात राजस्व गाँव के रूप में माना जाकर अभिलेखित किया जावेगा एवं इनका वर्तमान क्षेत्रफल मूल राजस्व गांव की कुल देह में से कम होकर कालम संख्या-8 के अनुसार होगा:-

| क्र0सं | जिला/ तहसील | मूल राजस्व ग्राम का नाम | मूल राजस्व ग्राम की जनसंख्या/ क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | प्रस्तावित राजस्व ग्राम का नाम | प्रस्तावित राजस्व ग्राम की जनसंख्या/ क्षेत्रफल (हेक्टर में) | | दूरी कि0मी 0में | मूल राजस्व ग्राम का शेष रहा क्षेत्रफल (हेक्टर में) |
|--------|------------------|----------------------------------|--|-----------|---|---|-----------|-----------------------|--|
| | | | जन संख्या | क्षेत्रफल | | जन संख्या | क्षेत्रफल | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | नागौर/ परबतसर | गूलर | 4883 | 2414.00 | शिवनगर | 1132 | 798 | 3 | 1616.00 |
| 2. | नागौर/ परबतसर | मालास- गुसाईया | 1603 | 1215.00 | सिहोठगढ | 720 | 548 | 2.5 | 667.00 |

नवीन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित उपरोक्त मूल एवं नवीन राजस्व ग्रामों के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 107 के अन्तर्गत अभिलेखों के परिशोधन के कार्य के लिये जिला कलेक्टर, नागौर को अधिकृत किया जाकर जिला कलेक्टर विभागीय परिपत्र क्रमांक प.9(16)राज-1/07 दिनांक 20.08.09 के अनुसार कार्यवाही निष्पादित कर राज्य सरकार को सूचित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आज्ञा से,

(अन्तर सिंह)

शासन उप सचिव

2/31/12
ADCC

2/31/12

2/31/12
शिवनगर
सिहोठगढ
2/31/12